पूर्व में पेश हो रखा है रेकर्ड पर लिया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी/अप्रार्थी सं० (1) को पत्र भेजे जाने के बाद भी जवाब आज दिनांक तक पेश नहीं किये जाने पर इनका जवाब बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते प्रा.पत्र धारा 212 RTAct पर बहस हेतु पत्रावली दिनांक 16/01/2024 को पेश हो।

Prinkar

16/01/24 पत्रावली पेश। उभयपक्ष बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/01/24 को पेश हो।

Prinkar

18/01/24 पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं.01 को दिनांक 15/03/19 को तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं.01 द्वारा वक्त तलबी नकल संलग्न नहीं होने का नोट अंकित किया गया। इसके संबंध में दिनांक 12/01/21 को अप्रार्थी सं.01 को पत्र जारी किया जा चुका है। किंतु आज दिनांक तक अप्रार्थी सं.01 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया, दिनांक 10/01/24 को अप्रार्थी सं.01 का जवाब बंद किया जा चुका है। पूर्व में दिनांक 13/06/17 को पटवारी बेह द्वारा न्यायालय में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके अनुसार-"ख.सं.104 (10 बीघा 11 बिस्वा), (गै.मु. मगरा), ख.सं.105 (रकबा 32 बीघा, 09 बिस्वा, गै.मु. खड्डा) खाता सं.01 में राजकीय भूमि दर्ज है। Mt.No. 1130 Dated 29/06/12 के द्वारा उक्त भूमि जो.वि.प्रा. को आवंटित की गई।"

मुताबिक प्रा. पत्र एवं बहस प्रार्थी- " ख. सं. 104 (10 बीघा, 12 बिस्वा), ख. सं. 105 (रकबा 32 बीघा 9 बिस्वा) वाके ग्राम बैठ की भूमि प्रार्थी के पिता अमर सिंह व दादा शेर सिंह के नाम की खुदकाश्त भूमि है। वक्त सेटलमेंट उक्त भूमि गलत तरीके से सिवाय चक दर्ज कर दी गई। सेटलमेंट पूर्व से ही प्रार्थी एवं उसके पूर्वजों का उक्त भूमि पर कब्जा है। खतौनी बंदोबस्त संवत 2011-30 उक्त भूमि अमर सिंह वल्द शेर सिंह जागीरदार के रूप में दर्ज है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर अपूर्णीय क्षति होगी, अतः प्रा. पत्र स्वीकार किया जावे।"

मुताबिक जवाब एवं बहस अप्रार्थी- " विवादित भूमि शुरू से ही राजकीय भूमि है, वर्तमान में उक्त भूमि का रूपांतरण हो गया है एवं यह कृषि भूमि नहीं है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा भी नहीं है। अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।"

उपरोक्त के आधार पर निम्नानुसार प्रा. पत्र का निस्तारण किया जाता है- " राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमि की किस्म गै. मु. मगरा, गै. मु. खड्डा दर्ज है, जो काश्त योग्य भूमि की श्रेणी में नहीं है, अतः प्रार्थी का खुदकाश्त भूमि का claim साबित नहीं होता है। प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 42 राज. काश्तकारी अधि. अस्वीकार किया जाता है। आदेश खुले में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल- दफ्तर हो।

P. Priyanka

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर